सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 103 राँची, शनिवार, 1 माघ, 1938 (श०) / 21 जनवरी, 2017 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-30/2016-09/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016

(झारखण्ड अधिनियम 03, 2017)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) में संशोधन के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(1) यह "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 का संशोधन ।

(क) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 15 (1) के पश्चात् निम्न प्रावधान (2) अन्त:स्थापित की जाती है -

(2) राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी;
परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य ग्राम पंचायत का पदधारी नहीं हो सकेगा।

(ख) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 में उपधारा में अंकित अंक (2) को विलोपित कर (3) के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-30/2016-10/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को अनुमत झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act 2016
(Jharkhand Act, 03, 2017)

An Act for Amendment of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001(Jharkhand Act 06, 2001)

Be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the sixty seventh year of the Republic of India.

1. Introduction, Short title and Commencement

1. This shall be known as "Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Act 2016".
2. It shall extend to whole of the State.
3. It shall come into force from the date of issuance of notification.

2. Amendment in Section 15 of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Jharkhand Act, 06, 2001)

(a) In section 15(1) of Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 the following (2) shall be inserted:-

An eminent person within the area of the Gram Panchayat who is nominated, by notification by the State Government.

Provided that the term of such member shall be specified by the State Government;

Provided that the State Government shall also be competent to annul the nomination of such nominated member;

Provided that such nominated member cannot be an office bearer of the Gram Panchayat;

(b) In sub section 2 of section 15 the number (2) abolished and inserted the number (3) in Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Jharkhand, 06, 2001).

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 103--50